PHILOSOPHY

PG III Sem. (Indian Logic)

Dr. S. K. Singh
Mob.-9431449951

व्याप्ति विनिश्चय (नव्य न्याय मत)

→ नव्य नैयायिक गंगेश के अनुसार व्यभिचार ज्ञान के अभाव से युक्त सहचार दर्शन के द्वारा ही व्याप्ति गृहीत होती है। सं व्यभिचार शंकाओं का निरास विपक्ष-बाधक तर्क द्वारा संभव होता है।

पुनः गंगेश तथा अन्य नैयायिक यह भी स्वीकार करते हैं कि 'वह्नि व्याप्य धूमवान पर्वत', इस परामर्श ज्ञान की उत्पत्ति सामान्य लक्षणा प्रमाण के अभाव में नहीं होती क्योंकि व्याप्ति सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य विषय (संबंध) का ज्ञान है। बिना 'सामान्य' के बोध के व्याप्ति ग्रहण भी संभव नहीं। अतः व्याप्ति के लिये सामान्य लक्षणा प्रत्यक्ष अनिवार्य है।

→ इस प्रकार न्याय मतानुसार व्याप्ति की स्थापना निम्नलिखित छः तत्वों के समावेश से होती है —

(i) अन्वय :- दो वस्तुओं के बीच जब इस प्रकार का संबंध हो कि एक वस्तु के ~~अभाव~~ उपस्थित होने पर दूसरी भी उपस्थित हो जाय तो इस प्रकार का संबंध अन्वय है। जैसे - 'जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है'।

(ii) व्यतिरेक :→ दो वस्तुओं के बीच इस प्रकार का संबंध हो कि दूसरी ~~एक~~ वस्तु के अभाव होने से पहली ~~दूसरी~~ वस्तु का भी अभाव हो जाये तो वस्तुओं के बीच के संबंध को व्यतिरेक संबंध कहते हैं, यथा - 'जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धूम्र नहीं है'।

(iii) व्यभिचाराग्रह :→ दो वस्तुओं या पक्षों के बीच जब संबंध अनियमित हो तो इस प्रकार के संबंध को व्यभिचारपूर्ण संबंध कहा जाता है। यथा - कभी बादल घिरने पर वर्षा होती है तो कभी बादल घिरने पर वर्षा नहीं होती। इस प्रकार बादल और वर्षा का संबंध व्यभिचारपूर्ण संबंध ~~कहा जाता है।~~ है। जब दो वस्तुओं या पदों के संबंध में व्यभिचार का अथवा नियमितता का अभाव हो तो इसे 'अव्यभिचाराग्रह' कहा जाता है।

अब दो वस्तुओं या पदों के बीच व्यभिचारपूर्ण संबंध हो तो इन वस्तुओं के बीच व्याप्ति संभव नहीं, किन्तु जब दो वस्तुओं के बीच व्यभिचाररहित संबंध हो इन वस्तुओं के बीच व्याप्ति का निश्चयीकरण ~~संबंध~~ संभव होता है। यथा - बादल और वर्षा का संबंध व्यभिचारपूर्ण होने ~~के~~ के कारण बादल और वर्षा के बीच विनिश्चयीकरण संभव नहीं किन्तु वर्षा और बादल के बीच का संबंध व्यभिचाररहित होता है अतः वर्षा और बादल के बीच विनिश्चयीकरण संभव है।

(iv) उपाधि निरास:→ दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति का संबंध अनौपाधिक संबंध है। साध्य की व्यापकता होते हुये भी जब साधन की व्यापकता न हो, ~~के~~ उसे उपाधि कहा गया है। यथा - जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धुँआ है, ~~के~~ इस व्याप्ति में उपाधि दोष है क्योंकि धूम्र तभी उत्पन्न होगा जब ईंधन में गीलापन (उपाधि) हो।

(v) तर्क :→ न्याय मतानुसार व्याप्ति की स्थापना दो वस्तुओं अथवा पदों के बीच नियत अनौपाधिक अन्वय-व्यतिरेक पूर्ण अव्यभिचारी संबंध के आधार पर की जाती है। इस संबंध का ज्ञान मूलतः अनुभवाश्रित है तथापि अनुभव-दोष या अनुभव की ~~सीमाबद्धता~~ सीमाबद्धता के कारण उपर्युक्त चार चरणों में गृहित व्याप्ति दोषपूर्ण भी हो सकती है, अतः उस दोष के निराकरण के लिये व्याप्ति का तर्कसम्मत या तर्कआधारित होना अनिवार्य होता है।

(vi) सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति :→ दो वस्तुओं अथवा पदों के बीच नियत अनौपाधिक अन्वय-व्यतिरेक पूर्ण अव्यभिचारी रूप से गृहीत संबंध का तर्क द्वारा विनिश्चयीकरण कर लेने के उपरांत भी विपक्षी यह शंका कर सकते हैं कि समस्त साध्य-साधनों की सर्वकालिक तथा सार्वदेशिक व्याप्ति का ग्रहण ~~कैसे~~ ~~प्रकार~~ ~~होता है~~। संभव है? इस जटिल समस्या के समाधान के लिये न्यायदर्शन सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति नामक एक विलक्षण अवधारणा का आश्रय लेते हैं। (अलौकिक-प्रत्यक्ष प्रमाण)

Scanned with CamScanner